न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 13/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड़ (वर्तमान में तहसीलदार, देलदर)

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) चन्दा पुत्र लाला जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(2) परबू पुत्र लाला जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(3) भीमा पुत्र लाला जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(4) रमीया पुत्र भीखा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(5) दिवली पुत्री भीखा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(6) बेबली पुत्री भीखा, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तह0 देलदर, जिला–सिरोही (मृतक)
(7) सुमी पुत्री भीखा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(8) सोमली पुत्री भीखा जी, जाति–भील, निवासी–दोयतरा, तहसील–देलदर,जिला–सिरोही
(अप्रार्थी संख्या 6 (छः) बेबली पुत्री भीखा जी भील की मृत्यु होने से नाम विलोपित किया)

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार, अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 8 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 25 मार्च, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान खतौनी जमाबंदी में अंकित निम्न कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है को राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज कराने एवं विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम दोयतरा, पटवार हल्का दोयतरा, तहसील–देलदर	2075–2078	96	1906	0–0253	जाव 3
			2235	0–2782	ब 1

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 की पालना में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिबंधित है। उक्त भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि मिसल बंदोबस्त में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी जिसका विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है कि "All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal." अतः प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुम्हार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 8 की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 6 (छः) बेबली पुत्री भीखा जी, जाति– भील, निवासी– दोयतरा, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही को जारी नोटिस उसकी मृत्यु की सूचना के साथ अदम तामिल प्राप्त होने के बाद मृतक अप्रार्थी बेबली पुत्री भीखा जी, जाति– भील, निवासी– दोयतरा के विधिक वारिसान के संबंध में तहसीलदार, देवदर के पत्र क्रमांकःराजस्व/2025/632 दिनांक 10–10–2025 से प्राप्त रिपोर्ट एवं इसके संलग्न प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 09–10–2025 में अंकित अनुसार अप्रार्थी बेबली पुत्र भीखा जी, जाति– भील, निवासी– दोयतरा की नाबालिग मृत्यु हो चुकी है एवं उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित उसके विधिक वारिसान रमीया पुत्र भीखा, दिवली पुत्री भीखा, सूमी पुत्री भीखा व सोमली पुत्री भीखा, जाति– भील, निवासी– दोयतरा इस प्रकरण में पूर्व से ही पक्षकार (अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7 व 8) होने से मृतक अप्रार्थी संख्या 6 (छः) बेबली पुत्री भीखा जी, जाति–भील, निवासी– दोयतरा, तह0 देलदर, जिला– सिरोही का नाम इस प्रकरण से हटाये जाने (विलोपित करने) के आदेश दिनांक 24–02–2026 को पारित होने से अप्रार्थी संख्या 6 (छः) बेबली पुत्री भीखा जी, जाति– भील, निवासी– दोयतरा का नाम इस प्रकरण से विलोपित किया गया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन तथा किसी भी रुप में संपरिवर्तन किया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, नदी, नाला, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। प्रश्नगत भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी **महकमा बंदोबस्त संवत 2004** में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 के द्वारा जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की राजस्व रेकर्ड में दिनांक 15–8–1947 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविलि रिट याचिका संख्याः 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29–5–2012 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का किया गया आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन/नियमन निरस्त करवाने एवं प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि की किस्म मौके पर नाला कभी भी नही रही है एवं न ही मौके पर कोई नाला है। उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग पिछले कई वर्षो से कृषि हेतु हो रहा है। उक्त भूमि जलग्रहण या बहाव क्षेत्र की भूमि नही है। राजस्व अभिलेख में पूर्व में गलत इन्द्राज दर्ज था, जिसे बाद में सुधारा गया है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं मौके पर समतल व कृषि योग्य भूमि है। अप्रार्थीगण ने काफी रकम खर्च करके इस भूमि को उपजाउ बनाया गया है व मौके पर अप्रार्थीगण काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का नियमानुसार आवंटन/नियमन किया गया है व नामान्तरकरण भी विधि अनुसार हुआ है जिसमें कोई अनियमितता नही रही है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि वादग्रस्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

भूमि के आवंटन से पूर्व राज्य सरकार द्वारा मौके की स्थिति अनुसार किस्म को परिवर्तन किया गया है। मौके पर भूजल संग्रहण कभी भी नही हुआ है। अप्रार्थीगण के हक में हुए आवंटन एवं नामान्तरकरण में अप्रार्थीगण द्वारा कोई तथ्य नही छुपाया है। समस्त कार्यवाही विधि अनुसार हुई है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण कई वर्षो से काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे है। अप्रार्थीगण ने नियमानुसार भू राजस्व कर की राशि जमा करवाई है। ऐसी दशा में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र, कानून की मंशा के विपरित होने व अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रक्रिया अपनाकर आवंटन किया गया है तथा आवंटन आदेश के अस्तित्व में रहते हुए यह रेफरेन्स कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रस्तुत किया गया हैः–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम दोयतरा, पटवार हल्का दोयतरा, तहसील–देलदर	2075–2078	96	1906	0–0253	जाव 3
			2235	0–2782	ब 1

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2004 में प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला दर्ज थी, जो भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 2–8–2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि **"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly. In the Government Owend Lakes and other water bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought under the ownership of the government.** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29–5–2012 में भी जलग्रहण/जलबहावक्षेत्र की भूमि की पुर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नही हो सकता है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही, उभय पक्षकारान को यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक प्रश्नगत भूमि के भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही होने दे एवं न ही करे।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति ग्राम दोयतरा, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही के खाता संख्या 96 खसरा संख्या 1906 रकबा 0–0253 हेक्टेयर किस्म जाव 3 व खसरा संख्या 2235 रकबा 0–2782 किस्म ब.1 के स्थान पर भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज अप्रार्थीगण की प्रविष्ठियां विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2004 के अनुरुप राजकीय बिलानाम किस्म नाला दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा सहित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली निर्णय की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित प्रेषित की जावे। उभय पक्षकारान प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे तथा न ही रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करे। साथ ही, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, देलदर को प्रश्नगत आराजी वर्तमान भू अभिलेख में रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगामी आदेश तक नोट अंकित करने हेतु प्रेषित की जावे।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 04–6–2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही